अनुलग्नक– 16 (द्रष्टव्य कंडिका 3.5 तथा 4.1.6)

राहत केन्द्र के संबंध में पत्र

पत्रांक-1प्रा0आ0-32/2008...2492.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया, मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां।

पटना-15, दिनांक- 5 सितम्बर, 2008

विषय: **राहत केन्द्र के संबंध में ।**

महाशय,

बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के संबंध में अभी भी कतिपय जिला पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हैं। बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था करनी है:

1. **पंजीकरण** - कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/सेविका/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/साक्षरता/सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/शिक्षक/पंचायत रोजगार सेवक की सेवा ली जा सकती है।

2. **पका हुआ भोजन** - विस्थापिता को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह-शाम) मुहैय्या कराया जाना है । इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। आपको मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु चावल का आवंटन किया गया है, जिसे इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवाएं इस कार्य हेतु में ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग की निर्धारित दर पर किया जाएगा।

	(ड0) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से ।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन रू0 की दर से ।
	(छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभ द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा । (ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाडे पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति किया जाएगा ।
	(ग) 1 माह मे 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
3. दरी/ चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था/ स्वयंसेवी सस्था अथवा अन्य श्र से प्राप्त सामग्री से की जाएगी । अनउपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी नियमानुसार क्रय करने की कारवाई करेंगे ।
4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्व मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तवि खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र	(क) विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या-1(ड0) के आलोक में 1000 रूपया अनुमान्य है इस राशि का वितरण वैसे परिवारों को किया जाएग जिनका घर बह गया है/ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ।
6. पेयजल/ अस्थायी शौचालय/ स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएग इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी व्यय की प्रतिपू आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय सी0 आर0 एफ0 मद से अनुमान्य होगा ।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय- यथा आवश्यकता।

उपरोक्त मानदर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/ कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग के आप सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

अनुमोदन हेतु प्रारूप

पत्रांक–जी / आप0प्र0 बाढ़–01 / 2007–7945

बिहार सरकार,

गृह (विशेष) विभाग।

प्रेषक,

भगत चौधरी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 2 जुलाई, 10

विषयः **आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गृह विभाग द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना पर आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के कतिपय जिलों में प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है। उक्त के मद्देनजर बाढ़ आने के पूर्व, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद में सहायय एवं बचाव कार्य हेतु गृह विभाग ने एक कार्य योजना तैयार की है।

अतः उक्त कार्य योजना की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कार्य योजना में वर्णित विषय–वस्तु के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः--यथोक्त।

विश्वासभाजन,

गृह विभाग

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गृह विभाग का कार्य योजना:-

1. पुलिस बल को समय-समय पर प्राथमिक चिकित्सा, निष्कासन, खोज एवं बचाव तथा राहत कार्यों में प्रशिक्षित कर सतर्क रहना।
2. बाढ़ एवं अन्य आपदाओं से संभावित उच्च संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर पुलिस बल को आपातकालीन खोज, बचाव, निस्कासन एवं राहत कार्यों हेतु तैयार करना।
3. खोज एवं बचाव कार्य हेतु राज्य पुलिस बल के अन्तर्गत विशेष आपदा अनुक्रिया बलों/बटालियनों का प्रशिक्षण एवं ऐसे बलों को उपयुक्त स्थानों पर प्रतिनियुक्त करना।
4. राहत शिविरों एवं पारगम्य शिविरों में राहत सामग्रियों एवं प्रभावितों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना।
5. प्रशिक्षित होमगार्ड के बलों के कर्मिकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण।

गृह (विशेष) विभाग के पत्रांक - 1202/2010-285 दिनांक 12.03.10 द्वारा राज्य की विभिन्न नदियों पर अवस्थित तटबंधों की कड़ी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गृह रक्षकों की सशस्त्र अथवा बल के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया जा चुका है।

6. गृह रक्षा वाहिनी की विशेष बटालियन तैयारी हालत में रखना।
7. बाढ़ प्रभावित जिलों में वायरलेस जो खराब है उसे ठीक करवाना, जो वायरलेस चालू अवस्था में है उस पर भी समुचित ध्यान रखना एवं समय-समय पर मेंटनेंस करना।
8. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पुलिस बल को प्रशिक्षित किया गया है एवं उन्हें बाढ़ के समय 24 घंटे विशेष रूप से सर्तक रहना है।
9. जिला पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी के लगभग 330 जवानों एवं 70 मोटर बोट्स गोताखोरों/ को प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आपदा/बाढ़ के महीनों में सर्तक रहने का निदेश दिया गया।